राजस्थान सरकार
इंदिरा गांधी नहर परियोजना

क्रमांक:- एफ 3(2) इगानवि/विशा/2022 दिनांक 22 MAR 2022

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चौ कुम्भाराम आर्य लिफट नहर की गाजुवास माईनर के कि. मी. 00.00 से 22.980 तक निर्माण कार्य हेतु भूमि अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह विज्ञप्ति जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यावस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत , नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यावस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम 6 (8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, 10 वां खण्ड इगांनप तारानगर को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी,इंगानप बीकानेर को उक्त प्रयोजनार्थ नियुक्त किया जाता है।

विवरण
संलग्न सूची के अनुसार

संलग्न - सूची

आज्ञा से

ह०/-
(जितेन्द्र दीक्षित)
उप शासन सचिव
इन्दिरा गांधी नहर विभाग
जयपुर।

क्रमांक:- एफ 3(2)इगानवि/विशा/2022 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/ प्रस्तुत है:-

1. मुख्य अभियन्ता इंगानप बीकानेर।
2. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री/अधीक्षक राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार लेख है कि कृपया आगामी प्रकाशित होने वाले राजपत्र के असाधारण विषेशांक में प्रकाशित कर एक उद्धरण की प्रति इस विभाग को शीघ्र भेजने का कष्ट करें।
3. जिला कलेक्टर चूरू (राज)
4. अधीक्षण अभियन्ता साहवा लिफ्ट वृत इंगानप बीकानेर।
5. अधशाषी अभियन्ता 10 वां खण्ड इंगानप तारानगर को निम्नलिखित कार्यवाही हेतु।

(क) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें । अधिसूचना को दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन (जन संपर्क

निदेशालय के माध्यम से) संबंधित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम जिला कलेक्टर तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट के और तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में अधिसूचना को उपलब्ध कराये जाने बाबत।
(ख) इस विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कार्यवाही हेतु ।

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी, इंगानप बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना का सारांश सूचनार्थ यथोचित सार्वजनिक स्थानो पर चस्पा की कार्यवाही कराने तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू (राज.)
8. तहसीलदार (भू.अ.) तारानगर जिला चूरू (राज.)
9. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत आनंदसिंहपुरा, बुचावास गाजुवास पुनरास रेडीभुरावास, पंचायत समिति तारानगर जिला चूरू (राज.)
10. श्री पवन कुमार यादव, वरिष्ठ सहायक, इगानम, जयपुर को एस. एस. ओ. आई. डी. के माध्यम से असाधारण गजट को अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को आनलाईन प्रेषित करने हेतु ।
11. रक्षा पत्रावली ।

(जितेन्द्र दीक्षित)
उप शासन सचिव
इन्दिरा गांधी नहर विभाग
जयपुर।

श्री अजय पाल मीना कनिष्ठ सहायक इगानप जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

[illegible]
SLO
IGNP
JPR

फार्म-2

देखें नियम -5

पार्ट-बी

सामाजिक समाघात निर्धरण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

कम स.	परियोजना विकासकर्ता का नाम	अधिशाषी अभियन्ता,10वॉ खण्ड,इगानप तारानगर
क.	प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार,सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र	खण्ड के अधीन चै.कु.रा.आ.लि.नहर की गाजुवास माईनर का निर्माण आरडी किमी. 0.00 से 22.980 किमी. तक मुख्यमंत्री बजट घोषणा अनुसार निर्माण किया जाना हैं। अतः जिला चुरू तहसील तारानगर की ग्राम पंचायत आनंदसिहंपुरा बुचावास गाजुवास पुनरास रेड़ीभुरावास की कुल 554.00 बीघा (139.90 हैक्टेयर)भूमि अधिग्रहण की जानी प्रस्तावित है।
ख.	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्दैष्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिमके अन्तर्गत 1 परामर्ष 2 सर्वेक्षण 3सार्वजनिक सुनवाई / सुनवाईयां भी दें।	1 परामर्ष 2 सर्वेक्षण 3 सार्वजनिक सुनवाई
ग.	यदि ग्राम सभा और/या भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2,1के अधीन लागू नहीं हैं।
घ.	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन)योजना विनिर्दिष्ट किये जाने होंगे।	अधिनियम की निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार ।
ड	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।	हां
च.	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से संपर्क करने संबंधी जानकारी।	कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता 10वा खण्ड इगानप तारानगर में उपलब्ध।

अधिशाषी अभियन्ता
10वाँ खण्ड इगानप
तारानगर (चूरू)

अधीक्षण अभियन्ता
...

प्रति हस्ताक्षरित

(जितेन्द्र दीक्षित)
शासन उप सचिव, इगांनदि

(विवेक गोयल)
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
इन्दिरा गांधी नहर परियोजना
बीकानेर